संख्या-1379/22-4-13-48(5)/11

प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊःदिनांक- 31 अक्टूबर, 2013

विषयः- जिला कारागार, फतेहगढ़ में मुख्य प्राचीर के निर्माण हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-26951/नम-4/128, दिनांक-5.9.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-19/22-4-11-48(5)/11, दिनांक-26.02.2011 द्वारा जिला कारागार, फतेहगढ़ की वर्तमान मुख्य प्राचीर के बाहर नई मुख्य प्राचीर के निर्माण हेतु रू0-3,18,68,000/- (रूपया तीन करोड़ अट्ठारह लाख अड़सठ हजार मात्र) के आगणन पर प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0-1,59,34,000/- (रूपये एक करोड़ उनसठ लाख चौंतिस हजार मात्र) धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। आपके उक्त पत्र दिनांक-5.9.2013 में किये गये प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुये श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2013-14 में उक्त निर्माण कार्य हेतु अवशेष द्वितीय किश्त की धनराशि रू0-1,59,34,000/- (रूपये एक करोड़ उनसठ लाख चौंतिस हजार मात्र) की स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि नई मुख्य प्राचीर का निर्माण कार्य दिनांक-31.3.14 तक अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।

2- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-051-निर्माण-03-कारागारों कारागारों का उच्चीकरण, नवीनीकरण एवं जीर्णोद्धार-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाले जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

3- उक्त शासनादेश दिनांक-26.02.2011 की अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-640/दस-2013-231/2013, दिनांक-28.3.2013 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(आर0के0 द्विवेदी)
अनु सचिव।

.....2

<u>संख्या-1379(1)/22-4-2013-तद्दिनांक-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), उ0प्र0,इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- प्रवन्धक निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/2
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
अनु सचिव।